दस रुपये TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

(35) —

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2013 रिव्यू — 4556-II/13

श्री पी. के. तिवारी, अभि० द्वारा आज दि. 26-12-13 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 26.12.13
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

कुदरत उल्ला पुत्र श्री अब्दुल (मृतक) द्वारा अमीर उल्लाह पुत्र स्व. श्री कुदरत उल्ला, निवासी– मदरसा मज्जिद के पास, बेरी मैदान, शहर व तहसील व जिला बुरहानपुर (म.प्र.) ....आवेदक

बनाम्

1. फारुक साहक पुत्र श्री कासम साहब
2. शेख रसीद पुत्र श्री शेख मजीद, निवासीगण -- मदरसा मज्जिद के पास, बेरी मैदान, शहर व तहसील व जिला बुरहानपुर (म.प्र.)

.............अनावेदक

पुर्नवलोकन आवेदन अन्तर्गत धारा 51 म.प्र. भू राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 08.11.2013 द्वारा पारित सदस्य राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 1646 पी.वी.आर./2012 में पारित

महोदय,

आवेदक की ओर से पुर्नवलोकन आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के तथ्य :–

1. यह कि, आवेदक द्वारा सहायक अधीक्षक भू– अभिलेख नजुल बुरहानपुर के समक्ष दिनांक 22.11.2001 को एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया। कि, "मोहल्ला बेरी मैदान" बुराहानपुर स्थित ब्लॉक नं. 19 प्लॉट क्रं. 230 का रकवा 1280 वर्गफीट उसके पूर्वजों के समय से मकान बना है उक्त भूमि वर्तमान में नजूल रिकार्ड में म्युनिसिपल कमेटी के नाम से दर्ज है।

उक्त प्लॉट क्रमांक 230 की 1280 वर्गफीट भूमि का स्थाई पटटा नजूल विभाग द्वारा राजस्व प्रकरण क्र. 85/72 वर्ष 1932,1933 के

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक **पुर्नविलोकन 4556-दो/2013 जिला बुरहानपुर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7–3–2019	आवेदकपक्ष की ओर से अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु इस न्यायालय के आदेश दिनांक 8.11.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है । म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित तीन आधारों का उल्लेख किया गया है :- (1) किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो कि सम्यक तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी; या (2) मामले के अभिलेख से प्रकट भूल या गलती; या (3) अन्य कोई पर्याप्त आधार । आवेदकपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्को में ऐसी कोई साक्ष्य या बात नहीं बताई गई है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं कर सकते थे । उनके द्वारा अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि भी नहीं बतलाई गई है । केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुर्नविलोकन का आधार नहीं हो सकता है । अतः यह पुर्नविलोकन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	